मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 5, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम-267 क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 15 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार –

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर के बड़े तालाब में शादी हाउस का गंदा पानी मिलाये जाने,
(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण न होने से उन की मौत होने,
(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर के ग्राम सरसोद में नलजल योजना का क्रियान्वयन न होने,
(5) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर के जले होने,
(6) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के सेमली रामगढ़ मार्ग स्थित नदी पर पुल न बनाये जाने,
(7) श्री गिरीश गौतम, सदस्य की रीवा जिले के रतनगवां गांव में शाला निर्माण पूर्ण न होने,
(8) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह के ग्राम काटकुट से ओखला मार्ग का डामरीकरण करने,
(9) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट जिले के बिरसा व बैहर में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत न मिलने,
(10) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले के परसवाड़ा के ग्रामों में विद्युतीकरण न होने,
(11) श्री अजय सिंह, सदस्य (नेता प्रतिपक्ष) की सिवनी जिले के ग्राम धूमा के मंदिर न्यास में आदिवासी वर्ग को शामिल न करने,
(12) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले की अमरपाटन जनपद में सहायक यंत्री द्वारा भ्रष्टाचार करने,
(13) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगवाये जाने,
(14) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की ग्राम चितोरा तथा अन्य ग्रामों में बिजली न मिलने तथा
(15) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल जिले के नरेला विधान सभा क्षेत्र के चांदबड़ आदि में मार्ग निर्माण न होने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने –
(क) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण, वर्ष 2010-2011 तथा
(ख) (i) एम.पी. पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11,
(ii) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11,
(iii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11,
(iv) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 तथा
(v) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11
पटल पर रखे।

4. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री मानवेन्द्र सिंह तथा श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी, सदस्यगण ने भिण्ड एवं दतिया जिलों में नील गायों द्वारा फसलें नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की मंदसौर जिले में गलघोंटू नामक बीमारी से पशुओं की मौत होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री संजय पाठक (जिला-कटनी)
(2) श्री मोहन शर्मा (जिला-राजगढ़)
(3) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल)
(4) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा (जिला-देवास)

6. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने तथा अशासकीय संकल्प के समय में परिवर्तन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि –

माननीय सदन के नेता एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष से हुई चर्चा के अनुसार आज भोजन अवकाश नहीं होगा तथा आज की कार्यसूची में सम्मिलित पद क्रमांक 6 तक उल्लिखित विषयों पर सायं 5.00 बजे तक चर्चा होगी।

साथ ही, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत हैं। अतः सायं 5.00 बजे के उपरांत अशासकीय कार्य लिये जायेंगे।

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि अशासकीय कार्य सहित सभी कार्य आज 5.00 बजे के पूर्व ही पूर्ण किया जाना सदस्यों के लिए सुविधाजनक होगा।

7. राजस्व मंत्री का प्रदेश के सम्भागों के पुनर्गठन एवं तहसील सृजन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने शहडोल एवं जबलपुर सम्भाग के पुनर्गठन तथा प्रदेश में 10 नई तहसीलों के सृजन सम्बन्धी वक्तव्य दिया। श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

8. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि –

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर; बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल; विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन; देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर; रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों. ".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2012 को अपराह्न 1.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी।
(3) उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2012 को 1.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।
(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।
(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।
उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

10. स्वागत-उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री रजा मुराद, मशहूर फिल्म अभिनेता का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया।

11. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दिनांक 21 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 23 सदस्यों के संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई है। उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है। तद्नुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री नारायण प्रजापति	7
(2)	श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर	11
(3)	श्री रामलखन सिंह	13
(4)	श्री भगवान सिंह राजपूत	17
(5)	श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी	18
(6)	श्री मानवेन्द्र सिंह	19
(7)	डॉ. निशिथ पटेल	23

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(2) डॉ. निशिथ पटेल
(3) श्री विश्वास सारंग
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री कमल पटेल
(6) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(7) श्री मानवेन्द्र सिंह
(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(9) श्री ताराचंद बावरिया
(चर्चा अपूर्ण)

12. अध्यक्षीय घोषणा (क्रमश:)

अशासकीय संकल्प के समय में परिवर्तन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि माननीय सदन के नेता और माननीय नेता प्रतिपक्ष से हुई चर्चा के अनुसार, अब आज की कार्यसूची में उल्लेखित पद क्रमांक 6 तक के विषयों पर अपराह्न 2.30 बजे तक चर्चा होगी तथा उसके पश्चात् अशासकीय संकल्प लिए जाएंगे।

13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि बुन्देली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।
श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री नरेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से मुम्बई चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाय."

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह एवं विश्वास सारंग, सदस्यगण के अशासकीय संकल्प - "सदन का यह मत है कि सोशल नेटवर्किंग साईट पर विभिन्न धर्मों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक कड़ा कानून शीघ्र बनाया जाना चाहिये." उनके आग्रह के अनुसार अगले शुक्रवार को सदन में लिया जाएगा।

अपराह्न 2.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 8, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 24 फरवरी, 2012